प्रारंभिक वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय और वर्ष–2020 के प्रथम बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन। 28 फरवरी से आरंभ होकर 28 मार्च,2020 तक चलने वाले इस सत्र में कुल 18 कार्य दिवस प्रस्तावित हैं, जिसके दरम्यान चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश करने के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2020–2021का वार्षिक बजट भी सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। हमारी शासन प्रणाली संविधान के जिस प्रावधानों के अनुरूप संचालित होती है, उसी के अर्न्तगत यह व्यवस्था की गयी है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में सरकार अपनी वित्तीय विवरणी विधान मंडल के पटल पर रखेगी। संविधान के इस प्रावधान में सरकार के उपर विधान मंडलीय जबाबदेही का वित्तीय सिद्धान्त निहित है। यह प्रावधान इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सदन की सहमति के बिना न तो एक पैसे का करारोपण किया जा सकता है,न ही सरकार एक पैसे का व्यय कर सकती है। राज्य की संचित निधि के उपर विधायिका के नियंत्रण का यह सिद्धान्त वस्तुतः लोकतंत्र की आत्मा है। इस कम में संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भो को मैं विशेष रूप से उद्धृत करना चाहता हूँ जिसे वहाँ के एक पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था

कृ0पृ030/–

"जिसके पास पैसा है, उसी के पास शक्ति है" ।भारतीय संदर्भ में राष्ट्र और राज्य के धन अथवा सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण कमशः संसद और राज्य विधान मंण्डल द्वारा रखा जाता है। वस्तुतः भारतीय संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के वित्तीय कृत्यों पर प्रकिया में अन्तर्निहित उन्ही सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है, जिनका पालन इंग्लैण्ड में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किया जाता है। विधान मंडल का यह वित्तीय नियंत्रण माननीय सदस्यों द्वारा विनियोग विधेयक के पारण और अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करके उनके औचित्य पर चर्चा के माध्यम से सम्पन्न होता है। इन सभी के साथ- साथ सरकार द्वारा सभा से अनुदानित,पारित और अधिनियमित राजस्व के औचित्य पूर्ण व्यय की लोक लेखा और सरकारी उपकमों संबंधी समितियाँ द्वारा की गयी समीक्षा के माध्यम से भी विधायी संस्थान सरकार पर अपना वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। आप में से कतिपय माननीय सदस्यों के लिए यह गौरव की बात है कि वे झारखण्ड गठन के आरम्भ से लेकर अबतक इस विधान सभा के सदस्य हैं,तथापि हममें से बहुत ऐसे भी हैं जो इस विधान सभा के लिए पहली बार चुनकर आये हैं। ऐसे में मैं तमाम माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि आप बजट पर भरपूर और

कृ0पृ030/-

सार्थक चर्चा करके सरकार के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने का कार्य करें और यह सुनिश्चित करायें कि बजट को पारित करके राज्य की संचित निधि से जिस राशि के व्यय का प्राधिकार हम सरकार को समर्पित कर रहें हैं, उसके एक-एक पैसे का सही और सार्थक उपयोग जनता के व्यापक हित में सुनिश्चित हो।

राजनीतिक कार्यपालिका पर विधान मण्डल के वित्तीय नियंत्रण के साथ-साथ विधायी नियंत्रण के अवसर भी इस सत्र में माननीय सदस्यों को प्राप्त होंगे। सभा के इस सत्र से संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम का सांगोपांग अवलोकन आप सभी ने किया होगा। इसमें दो कार्य दिवस राजकीय विधेयक के लिए निर्धारित हैं। इन दोनो तिथियों को सरकार कतिपय कानून के मसौदे आपके विचार के लिए लेकर आएगी। कौन से कानून अथवा कानूनों के कौन से प्रावधान आज के संदर्भ में झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता के हित में आवश्यक हैं, इसे आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता। यह संभव है कि एक विधायक के रूप में आपका कार्यकाल छोटा हो, लेकिन जनता के बीच आपके सम्बन्धों का कार्यकाल निश्चित रूप से काफी बड़ा और लम्बे समय का है। इस क्रम में हमे यह भी याद रखना है कि विधान सभा के लिए एक

कृ0पृ030/-

निर्वाचित सदस्य होने के पहले हम राष्ट्र और राज्य के एक जिम्मेवार नागरिक हैं। ऐसे में किसी कानून का असर हमारे साथ-साथ आम जनता पर कैसा होगा, इसका मूल्यांकन हम सूक्ष्मता से करें और इसी आलोक में सभा में अपनी राय व्यक्त करें। यह ठीक है कि एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते हमारी कतिपय दलीय प्रतिबद्धतायें हैं,लेकिन हमें जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देनी होगी और यदि हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं,तो निश्चित मानिए कि जनहित के उद्देश्य पूरे होंगे और हमारा लोकतंत्र सफल होगा,आप एक सफल विधायक सिद्ध होंगे।

इन सबके अतिरिक्त भी प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम माननीय सदस्यों को जनहित से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों को सदन में सत्र के दौरान उठाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल,ध्यानाकर्षण सूचनायें,प्रस्ताव और संकल्पों को ऐसी ही कोटियों में रखा गया है। निर्धारित प्रकियाओं का पालन करते हुए सदन का व्यवस्था पूर्वक संचालन यदि माननीय सदस्यगण सुनिश्चित करें तो मुझे विश्वास है कि राज्य की कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिसके समाधान के मुकाम तक हम नहीं पहुँचें। अभी कुछ ही दिन पहले सभा सचिवालय के

विधायी एवं शोध संदर्भ कोषांग द्वारा एक प्रबोधन -सह- प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट बिल्डिंग में किया गया था,जिसका मुख्य विषय विधायकों की जिम्मेवारी और सदन में जन सरोकार के मुद्दे से था। बड़ी संख्या में आप उस कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं।अपने क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञों ने इसमें अपने विचार रखे थे। उन पर अमल करते हुए हम आगे बढ़ेगें यही मेरी कामना है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना आपका दायित्व है। माननीय सदस्य चाहे सत्तापक्ष के हों या प्रतिपक्ष के,सभी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। सभी की भूमिकायें समान हैं,सभी के दायित्व भी समान ही हैं। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत के शासन के कारण, हो सकता है कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों को सरकार से कुछ सहूलियतें प्राप्त हो जायें और प्रतिपक्ष को जटिल स्थितियों का सामना अपने दायित्व निर्वहन में करना पड़े लेकिन दूसरी तरफ दलीय प्रतिबद्धतायें सत्तापक्ष के सदस्यों पर जो सीमायें स्थापित करती हैं, प्रतिपक्ष उन सीमाओं से बाहर रहता है। इस प्रकार दोनों पक्षों की स्थिति कमोबेश समान है। इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए भी सभा में ऐसे अवसर हैं, जब दोनो ही पक्षों के सदस्य मुखरता से अपनी बातें रख सकते हैं। सभा का संरक्षक होने के नाते मैं आपकी मुखरता का

कृ0पृ030/-

स्वागत करूँगा। मैं सरकार से इस कम में जहाँ उदार होने की अपेक्षा करता हूँ वहीं प्रतिपक्ष से भी विनम्र आग्रह करता हूँ कि सभा में विरोध मुद्दों पर आधारित हो न कि राजनीति पर आधारित। अन्त में आप सभी अपने दायित्व निर्वहन में कामयाब हों, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप सबों को यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आज का अवसर ऐतिहासिक है, जब पंचम विधान सभा के प्रथम बजट सत्र में हम इस भव्य भवन में एकत्रित हुए हैं। इस भवन की भव्यता तभी सार्थक होगी जब हम अपने विचार और व्यवहार में भव्यता लाकर जनता के व्यापक हित में कार्य करेंगे। सभा के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की एक बार फिर से कामना करता हूँ।